संख्या-68/2025/1003/छप्पन-2025/46-2002

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन विभाग लखनऊ : दिनांक 30 जुलाई, 2025

विषयः हवाई अड्डा पलिया जनपद लखीमपुर खीरी के विस्तारीकरण परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी पर होने वाले व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-105/आर0सी0एस0-2025-बी-2/2023 दिनांक 21 जुलाई, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी के पत्र संख्या-1295/रा0ह0पट्टी विस्ता-सं0नि0ए0 व्यय वि0/एलएसी दिनांक 16 जुलाई, 2025 के क्रम में हवाई अड्डा पलिया जनपद लखीमपुर खीरी के विस्तारीकरण परियोजना हेतु जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी के पास उपलब्ध धनराशि में से सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के लिए अनुमानित व्यय रू0 17,00,000/- +कर (18 प्रतिशत रू0 3,06,000/-) अर्थात् कुल रू0 20,06,000/- (रूपए बीस लाख छः हजार मात्र) के व्यय की स्वीकृति शासनादेश संख्या-54/2024/907/छप्पन-2024/46-2002 दिनांक 28 जून, 2024 के द्वारा जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी को उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0 2,50,00,00,000/- (रूपए दो अरब पचास करोड़ मात्र) में से प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 21 जुलाई, 2025 में किए गए प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हवाई अड्डा पलिया जनपद लखीमपुर खीरी के विस्तारीकरण परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-54/2024/907/छप्पन-2024/46-2002 दिनांक 28 जून, 2024 के द्वारा जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी को उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0 2,50,00,00,000/- (रूपए दो अरब पचास करोड़ मात्र) में से सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के लिए अनुमानित व्यय रू0 17,00,000/- +कर (18 प्रतिशत रू0 3,06,000/-) अर्थात् कुल रू0 20,06,000/- (रूपए बीस लाख छः हजार मात्र) के व्यय की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(9) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(11) वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही धनराशि के सापेक्ष यदि कोई बचत होती है, तो बचत की धनराशि जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी द्वारा राजकोष में जमा कराई जाएगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

संख्या-68/2025/1003(1)/छप्पन-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड0, गोमती नगर, लखनऊ।
3- आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
4- जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, लखीमपुर खीरी ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13
8- रजिस्ट्रार, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।